सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: अधिसूचना ::

नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

क्रमांक एफ 4–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त, के पद पर श्री जवाहर श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ.ग. को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र::नया रायपुर दिनांक 24.9.2013,

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर,
2. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली,
3. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय रायपुर,
5. मुख्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड़, शंकर नगर, रायपुर,
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
8. श्री जवाहर श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ.ग.

9. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. समस्त विशेष सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़,
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
12. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
13. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
14. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
15. समस्त कलेक्टर्स, छ.ग.,
16. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
18. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर,
19. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर,
20. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव । कृपया छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर उसकी 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 सितम्बर 2013—आश्विन 2, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2013/आरटीआई/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त, के पद पर श्री जवाहर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ.ग. को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.